

116  
2021

दीरगढ

विशेष पटवारी हलका / जमीन/सूचना  
 जमीन पत्र में त्रुटि का नाम है। विशेष पटवारी  
 जमीन पत्र के अर्थ का गलत मतलब है। विशेष पटवारी  
 जमीन पत्र के अर्थ का गलत मतलब है। विशेष पटवारी  
 जमीन पत्र के अर्थ का गलत मतलब है। विशेष पटवारी  
 जमीन पत्र के अर्थ का गलत मतलब है। विशेष पटवारी

श्रीमानजी: श्री...  
 आदेश - राजस्व/2020/...

यूज ही उपखण्ड अधिकारी/मालदार उदयपुरवाटी को देना है।  
 का नाम दुरुस्त किया जाना है / उचित नहीं है।

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी / मुदागीहजी

न्यायपाल्य उपखण्ड अधिकारी एवं सैन्य प्रशासक उदयपुरवाटी जिला मुमुत (पत्र.)  
 - आदेश -

दिनांक :- 14-10-2021

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पर उदयपुरवाटी एवं तहसीलदार (मुमुत) उदयपुरवाटी/मुदागीहजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मु. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसार नै गिनांकित दर्ज प्रविष्टि को गिनांकित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी/मुदागीहजी को राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्यत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है।)
1.	दीरगढ	2075-78	28,343	मडगीह झा पसुदान सिंह राजपुर	नोबिन् सिंह झा राजपुर

नोट :- शेष प्रविष्टिया गथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक - राजस्व/2020/ 102-103  
 प्रतिलिपि -

दिनांक :- 14-10-2021

- 1 तहसीलदार (मुमुत) उदयपुरवाटी / मुदागीहजी को धारते पालना।
- 2 प्राथी / प्राथीया को सूचनाय।

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

